न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 42/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00154

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारक तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. स्व हरिया पुत्र प्रभु कौम गरूडा के का.मु 1.1 कंकुदेवी पत्नी हरीराम जाति गरूडा निवासी कंटालिया तहसील मा.ज. 1.2 मांगीलाल पुत्र हरीराम जाति गरूडा निवासी कंटालिया तहसील मा.ज. 1.3 कंचन देवी पुत्री हरीराम जाति गरूड़ा निवासी कंटालिया तहसील मा.ज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–:निर्णयः–

दिनांकः– 13-2-2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 के तहत तत्कालीन तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा हरिया पुत्र प्रभु के पक्ष में आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/179 दिनांक 25.02.1978 के विधि विरूद्ध होने से आवंटन आदेश खारिज करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 वक्त बहस अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन में खसरा नम्बर 1511/13 में 3 बिस्वा भुमि किस्म गैर मुमकिन बाड़ा आंवटी हरिया पुत्र प्रभु जाति गरूड़ा को आवंटित की गई है। जैर आराजी पर अप्रार्थी का मौका पर बाड़ा नही था। दिनांक 18.02.2020 को पटवारी हल्का कंटालिया की मौका फर्द के अनुसार खसरान नम्बर 1511/13 पर किसी प्रकार का कब्जा एवं मकान निर्माण नही है। अप्रार्थी ने आवंटन अधिकारी को गलत तथ्यो एवं झुठ के आधार पर स्वंय के पक्ष में आवंटन अपने पक्ष में करवा दिया जो बिना किसी प्रकार की जांच किये आवंटन नियमों के विरूद्ध जाकर आवंटन आदेश जारी कर दिया गया अप्रार्थी हरीया पुत्र प्रभु के नाम आदेश दिनांक 25.02.1978 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया उस पर वर्तमान समय में किसी प्रकार का कब्जा नही है न ही पुर्व में था। आवंटन आदेश मात्र राजस्व रेकर्ड के कागजों में खानापुर्ति की गई है वास्तविकता में अप्रार्थी द्वारा उक्त नियमन की शर्तो की पालना नही की हैं मिथ्या जानकारी एवं तत्कालीन नियमन/आंवटन अधिकारी को झुठी एवं गलत जानकारी देकर गलत तरीके से नियम विरूद्ध जाकर उक्त नियमन आदेश पारित करवाया है। अप्रार्थी एवं उसके परिवार वालो ने आदिनांक तक नियमन की शर्तो की पालना नही की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी हरीया के पक्ष में नियमन आदेश क्रमांक 179 दिनांक 25.02.1978 को खारिज करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण बाद नोटिस तामिल अनुपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता को वास्ते बहस हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजुद भी वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अति. जिला कलक्टर, पाली

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवेचन अनुसार अप्रार्थी हरीया पुत्र प्रभु जाति गरूड़ा के पक्ष में ग्राम कंटालिया में तत्कालिन तहसीलदार द्वारा आदेश क्रमांक 179 दिनांक 25.02.1978 के द्वारा खसरा नम्बर 1511/13 में बाड़ा हेतु 3 बिस्वा भुमि नियमन करते समय नियमन की शर्तो के विरूद्ध एवं बिना मौका एंव रेकर्ड की स्थिति को देख आवंटित कर दी थी जो खारिज योग्य है। पटवारी हल्का कटालियां प्रथम की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है की आवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई बाड़ा नही है एंव न ही मौके पर काबिज है। गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कंटालिया प्रथम में अप्रार्थी हरिया पुत्र प्रभु जाति गरूड़ा के पक्ष में खसरा नम्बर 1511/13 में 3 बिस्वा भुमि बाड़ा हेतु तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किये गये नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/179 दिनांक 25.02.1978 को खारिज किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार मारवाड को प्रेषित की जावें।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13-2-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली